



भारत सरकार Government of India अंतरिक्ष विभाग Department of Space







विज्ञापन सं: एलपीएससी/04/2019 Advertisement No. LPSC/04/2019

एलपीएससी के विलयमला, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में स्थित यूनिटों के लिए निम्नलिखित पदों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए

Applications are invited for the following posts for LPSC Units located at Valiamala near Thiruvananthapuram and at Bengaluru:

पद कोड	विषय	रिक्तियों की संख्या			प्रण ब्योरे ation Details		अनिवार्य अपेक्षाएं		
Post Code	Discipline	No. of vacancies	अना.	ब.पि.व OBC	अ. जा SC	आ.क.व. EWS	Essential requirements		
	पद का नाम: तकनीकी सहायक– स्तर 7 (वेतन मेट्रिक्स : ₹44,900 - ₹1,42,400/-) Name of Post: Technical Assistant – Level 7 (Pay Matrix: ₹44,900 - ₹1,42,400/-)								
723	यांत्रिक	14*	06	05	02	01	यांत्रिक इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ 03 वर्षीय डिप्लोमा		
	Mechanical			है। *Out of 14	डब्ल्यूबीडी-ओ , one post is		Three year Diploma in Mechanical Engineering with First Class		
724	इलक्ट्रॉनिकी	02	02	_	_	-	इलक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ 03 वर्षीय डिप्लोमा		
	Electronics						Three year Diploma in Electronics Engineering with First Class		

[अना:/ अनारक्षित, अ.पि.व: अन्य पिछडे वर्ग, अ.जा-अनुसूचित जाति, आ.क.व.-आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी-ओएच: निर्देशित (बेंचमार्क) अपंगता-शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति)]

IUR: Un-Reserved, OBC: Other Backward Class, SC: Scheduled Caste, EWS: Economically Weaker Section,

PWBD-OH: Persons with Benchmark Disabilities – Orthopaedically Handicapped]

सामान्य शर्तै/GENERAL CONDITIONS

1) पद अस्थाई है किंतु अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है। The posts are temporary, but likely to continue indefinitely.

2) उच्च आय सीमा दि. 02.07.2019 को 35 वर्ष है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट उनके लिए आरक्षित पदों में दी जाएगी। पूर्व-सैनिक, निर्देशित (बेंचमार्क) अपंग व्यक्तियों, विभागीय उम्मीदवारों, गुणवान खिलाड़ियों, विधवाओं, तलाक़शुदा स्त्रियों तथा अपने पतियों से वैध रूप से अलग हए स्त्रियों, जिन्होंने पर्नविवाह नहीं किया है. वे भारत सरकार के नियमानुसार उच्च आयु की सीमा में छट के पात्र होंगे। न्युनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अनारक्षित पदों के लिए आवेदन देने वाले अ. जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आ.क.व. अभ्यर्थियों के लिए आय-सीमा में छट नहीं दी जाएगी।

Maximum Age limit (as on 02.07.2019) is 35 years, but relaxable by 3 years in the case of OBC candidates and 5 years in the case of SC candidates for posts reserved for them. Candidates coming under categories viz. Exservicemen, Persons with Benchmark Disabilities, Departmental candidates, Meritorious sportspersons, Widows, Divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not remarried are eligible for age relaxation as per Govt. of India orders. Minimum age limit is 18 years. Age relaxation is not applicable to SC/ST/OBC/EWS candidates applying against Un-reserved posts.

क्रम सं	पद कोड	जन्म निम्नलिखित तिथियों	जन्म निम्नलिखित	जन्म निम्नलिखित
SI. No.	Post Code	के पहले न हुआ हो।	तिथियों के पहले न	तिथियों के पहले न
		Born not earlier than	हुआ हो⊦(अ.पि.व. के	हुआ हो।(अ.जा. के
		(सामान्य एवं आ.क.व.	अभर्थियों के लिए)	अभर्थियों के लिए)
		अभर्थियों के लिए for General & EWS Candidates)	Born not earlier than (for OBC Candidates)	Born not earlier than (for SC Candidates)
1	723	03.07.1984	03.07.1981	03.07.1979
2	724	03.07.1984	-	-

3) उपर्युक्त रिक्तियां दि. 15.06.2019 के विज्ञापन सं. एलपीएससी/02/2019 के तहत प्रकाशित रिक्तियों के अतिरिक्त रिक्तियां है। अत: जिन अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त पदों के लिए पहले ही आवेदन दिया है तथा सभी औपचारिकता पूरे किए है(यानि, ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण, शुल्क का भुगतान आदि लागू है तो, तथा प्रशासन अधिकारी, एलपीएससी विलयमला को घोषणा-पत्र के प्रिंटऑट नियत तिथि के अंदर प्रस्तुत किए है),वे पुन: आवेदित न करें।

The vacancies mentioned above are additional vacancies occurred over and above the vacancies published vide Advt. No. LPSC/02/2019 dated 15.06.2019. Hence, those candidates who have already applied for the above posts and completed all formalities (i.e, registration of online application, payment of fees if applicable and submission of declaration printouts to Administrative Officer, LPSC Valiamala within due date) need not apply again.

- 4) अ.जा./ अ.ज.जा/अ.पि.व/आ.क.व श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में इस संबंध में स्पष्टतया लिखना चाहिए (अना.रिक्ति के लिए आवेदित करते हैं तो भी) तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के समय विनिर्दिष्टित फॉर्मेंट में उक्त के साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए(जैसा लागू हो), चूक होने पर उन्हें अनारक्षित (अना.) के अनुसार माना जाएगा तथा समुदाय स्थिति को परिवर्तित करने के लिए अनुवर्ती अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। Candidates belonging to SC/ST/OBC/EWS category should clearly indicate the same in the application (even when applying for UR vacancy) and should furnish proof of the same in the specified format at the time of written test / skill test (as applicable) failing which they will be treated as Un-Reserved (UR) and subsequent representations for change of community status will not be entertained.
- 5) तीन वर्ष की डिप्लोमा मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
 - The qualification of Three year Diploma should be from a recognized State Board/University.
- 6) शुरूआत में तैनाती स्थान एलपीएससी के किसी एक यूनिट में होगी, लेकिन अवश्यकता पड़ने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन / अंतरिक्ष विभाग के भारत में कहीं भी स्थित केन्द्रों/यूनिटों में पदधारियों को स्थानांतरित किया जा सकता है।
 - Initially the place of posting will be in any of the units of LPSC, but the incumbents are liable to be posted in any of the Centres or Units of ISRO or Department of Space situated anywhere in India as and when required.
- 7) इसरो में तकनीकी सहायक के वृत्ति विकास, योग्यता पदोन्नति योजना पर आधारित है जिसमें निर्धारित रेज़िडेंसी अविध के उपरांत रिक्त पद के संदर्भ किए बिना, योग्यता के आधार पर अगले ग्रेड में समीक्षा करके पदोन्नत किया जाता है।

 Career advancement for Technical Assistants in ISRO is based on Merit Promotion Scheme where the employees are reviewed and promoted to next grade on merit after a prescribed residency period without reference to vacancies.
- 8) इसरो कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएँ, सहायिकी प्राप्त कैंटीन, मकान अग्रिम, एल टी सी, राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय आदि आकर्षक लाभ उपलब्ध है।
 Attractive benefits such as Medical Facilities for self and dependents, Subsidized Canteen, House Building Advance, LTC, National Pension System and other social security measures are also provided to ISRO employees.
- 9) अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारियों में जो समुन्नत वर्ग में नहीं आते हैं, केवल उन्हें आरक्षण उपलब्ध है। अन्य पिछडे वर्ग के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट, समुन्नत वर्ग में नहीं आते हैं, का उल्लेख अवश्य होना चाहिए और इसका समय पर अद्यतन होना चाहिए / उस समय संगत होना चाहिए।
 - In respect of OBC Candidates, reservation will be available only to candidates, who do not fall in the Creamy Layer. OBC certificates must specifically include the clause regarding exclusion from Creamy Layer and should be updated / valid at the relevant point of time.
- 10) दिनांक 03.10.2019 को अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।

Those who possess the required qualification as on 03.10.2019 need only apply.

11) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण (आ.क.व.) Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs)

आय एवं परिसंपत्ति के मानदंड CRITERIA OF INCOME & ASSETS:

11.1 आरक्षण के लाभ हेतु, जो व्यक्ति अ.ज., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. की योजना के अंतर्गत नहीं आते तथा जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹ 8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम हो, उनको आ.क.व. माना जाएगा। आय में, आवेदन वर्ष के पूर्व, वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्त्रोतों से आय, यानि; वेतन, कृषि, व्यापार, वृत्ति आदि शामिल हैं। परिवार के आय का ध्यान लिए बिना, निम्नलिखित परिसंपत्ति रखने वाले परिवार के व्यक्तियों को आ.क.व. नहीं माना जाएगा। Persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh (Rupees eight lakh only) are to be identified as EWSs for benefit of reservation. Income shall, also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of the family income:-

- i. 5 एकड़ की कृषि भूमि या अधिक /5 acres of agricultural land and above;
- ii. आवसीय फ्लैट 1000 sq; ft. या अधिक

Residential flat of 1000 sq; ft. and above;

- iii. अधिसूचित नगरपालिका में आवसीय प्लॉट 100 स्का.;यार्ड या अधिक Residential plot of 100 sq yards and above in notified municipalities;
- iv. अधिसूचित के बाहर नगरपालिका क्षेत्र में आवसीय प्लॉट 200 स्का; यार्ड या अधिक Residential plot of 200 sq.- yards and above in areas other than the notified municipalities.
- 11.2. आ.क.व. स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या परिसंपत्ति के लिए आवेदन देते समय, "परिवार" द्वारा विभिन्न जगहों या विभिन्न स्थान/नगर में स्वामित्व में रखे गए परिसंपत्तियों को सम्मलित किया जाए।

The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

11.3 इस कार्य के लिए "परिवार" की परिभाषा में वे व्यक्ति शामिल होंगे, जो आरक्षण का लाभ उठाते है, उनके माता-पिता तथा 18 वर्ष की आयु से कम भाई-बहन एवं उनके विवाहिति तथा 18 वर्ष की आयु से कम बच्चे।

The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents - and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी तथा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन INCOME AND ASSET CERTIFICATE ISSUING AUTHORITY AND VERIFICATION OF CERTIFICATE:

- 11.4 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आ.क.व. के अधीन आरक्षण के लाभ उठा सकते है। संलग्नक -1 में निर्धारित प्रपत्र में दिए गए अनुसार निम्नलिखित किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र को ही आ.क.व. के अंतर्गत आने के दावे के लिए सबूत माना जाएगा। The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and Asset Certificate issued by any one of the following authorities in the prescribed format as given in Annexure-I shall only be accepted as proof of candidate's claim as 'belonging to EWS: -
 - (I) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी के वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेट/उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालिका मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Ist Class Stipendary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner
 - (II) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
 Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate
 - (III) राजस्व अधिकारी, जिनकी श्रेणी तहसिलदार के नीचे न हो, तथा Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
 - (IV) क्षेत्र के उप-प्रभागीय अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी/या उनके परिवार सामान्यत: आवास करते है। Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- 11.5 जो अधिकारी प्रमाण-पत्र जारी करता है, वे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक सत्यापित करें। The Officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/UT.
- 11.6 जब कभी माँगा जाएं अभ्यर्थियों को आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन अनुबंधों के अपालान के मामले में, आ.क.व. के अधीन आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावें पर विचार नहीं किया जाएगा तथा अभ्यर्थी/ ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन, जो अनारक्षित(अना.) श्रेणी की सभी योग्यता शर्तें पूरा करते है, उन्हें केवल अनारक्षित(अना.) के लिए विचार किया जाएगा।

Candidates will have to produce income and asset certificate as and when required. In case of non-compliance to these stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained and candidate/application of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions for General (UR) category will be considered under General (UR) vacancies only.

12) चयन प्रक्रिया में (1)लिखित परीक्षा एवं (2)स्किल टेस्ट दोनों सम्मिलित है। पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन-सूची तैयार की जाएगी तथा स्किल टेस्ट परीक्षा के लिए अपेक्षित संख्या के अनुसार ही अभ्यर्थियों (स्किल टेस्ट के लिए बुलाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एवं रिक्ति के बीच के अनुपात) को बुलाया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा इस प्रकार ली जाएगी की अभ्यर्थियों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान की गहराई से जांच की जा सके। स्किल टेस्ट पूर्णतया 'गो-नो-गो' के आधार पर होगी तथा चयन के लिए स्किल टेस्ट में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्किल टेस्ट की अर्हता का मूल्यांकन 100 पॉइन्ट स्केल पर न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्त करने पर किया जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अंतिम चयन पूर्णतया लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। स्किल टेस्ट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार पैनल बनाया जाएगा। अगर लिखित परीक्षा के अंकों में टाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो, अधिसूचित योग्यता के शैक्षिक प्राप्त अंकों को टाई- ब्रेकर के रूप में लिया जाएगा

<u>SELECTION PROCESS:</u> The Selection process consists of (1) Written test and (2) Skill test. The written test will be conducted first. Required number of candidates (ratio between vacancy and number of candidates to be called for skill test) alone shall be called for Skill test based on written test scores. The written test will be conducted in such a way that theoretical and practical knowledge of the candidate is tested covering both breadth and depth of the prescribed curriculum. The Skill test will be purely on 'go-no-go' basis and marks obtained in the Skill test will not be considered for selection. The Skill test will be evaluated on a 100 point scale with minimum 60% for qualification. The final selection will be done amongst qualified candidates, purely based on the scores obtained in the written test. From amongst candidates who qualify in the skill test with minimum 60% marks, select panel will be drawn in the order of marks obtained in the written test. In case of a tie in the written scores, the academic scores of the notified qualification will be the tie-breaker.

13) विज्ञापित पदों के लिए ऊपर दी गई निर्धारित योग्यता न्यूनतम है तथा उसके होने मात्र से अभ्यर्थी स्वत: लिखित परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो जाता। लिखित परीक्षा के लिए प्रारंभिक छान-बीन के द्वारा अभ्यर्थियों की लघु सूची तैयार की जाएगी।

The qualification prescribed is the MINIMUM requirement and the same does not automatically make candidates eligible for written test. Initial screening will be conducted to short-list candidates for taking-up written test.

- 14) बाहर से स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को, यदि वे इस प्रयोजन के लिए भारतीय रेलवे द्वारा दिए जा रहे निशुल्क यात्रा छूट नहीं लेते हैं तो उन्हें रेल की द्वितीय श्रेणी के रेल टिकट या बस टिकट के किराए के रूप में आने-जाने तक की यात्रा के लिए सबसे छोटे रास्ते का किराया, रेल टिकट अथवा बस टिकट जमा करने पर, भगतान किया जाएगा।
 - Outstation candidates called for Skill Test will be paid to and fro Second Class Railway Fare by the shortest route on production of Railway ticket or bus fare on production of bus ticket in case they are not availing the free concession offered by Indian Railways for the purpose.
- 15) उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के समय मूल प्रमाणपत्र, अपने आवेदन में दिए गए विवरण के अनुसार सबूत के रूप में जाँच के लिए प्रस्तुत करना होगा। **जो उपर्युक्त दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में चूकते है, उन्हें स्किल टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमित नहीं दी जाएगी एवं यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा।**

Candidates will have to produce original documents in proof of the details furnished in their application at the time of Skill Test for verification. Those who fail to produce the said documents will not be allowed to attend the Skill Test and TA will not be paid.

16) पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना ऑन-लाइन द्वारा ही दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थियों को अपना ई-मेल पता सही एवं अनिवार्य रूप से आवेदन में देना होगा।

Intimations to eligible candidates for Written Test/Skill Test will be sent through On-line only. For this purpose, candidates are required to furnish their E-mail ID CORRECTLY and COMPULSORILY while submitting the application.

17) किसी भी प्रकार के अंतरिम पत्राचार को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। आवेदकों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन से संबंधित वर्तमान जानकारी के लिए निरंतर रूप से हमारे वेबसाइट www.lpsc.gov.in देखें।

No interim correspondence will be entertained. The applicants are requested to visit constantly our website www.lpsc.gov.in for current information related to this advertisement.

18) केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन दे सकते हैं।

Only Indian Nationals need apply.

19) किसी भी पद (पदों) में भर्ती न करने से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार, केंद्र रखता है।

The Centre reserves the right not to fill-up any of the posts, if it so decides.

20) किसी भी प्रकार के याचना को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

Canvassing in any form will be a disqualification.

21) एक से अधिक पदों के लिए आवेदन देने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को हर एक पद के लिए अलग से आवेदन देना होगा। Those intending to apply for more than one post should send separate applications for each post.

22) सरकार ऐसे कर्मचारी बल के लिए प्रयास कर रही है जो स्त्री-पुरुष के संतुलन की अभिव्यक्ति करता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply.

23) किस प्रकार आवेदन दें /How to apply

आवेदनों को केवल 'ऑन-लाइन' द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

Applications will be received ON-LINE ONLY.

• ऑन-लाइन भर्ती पोर्टल दिनांक 22.09.2019 को अपराह्न 1400 बजे से 03.10.2019 के अपराह्न 1400 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

The on-line recruitment portal will be available from 1400 hrs on 22.09.2019 to 1400 hrs. on 03.10.2019.

• फ़ोटोग्राफ अपलोड करना/Uploading Photograph

a) अपलोड़ड फ़ोटो में अभ्यर्थी का चेहरा साफ़ दिखाई देना चाहिए।

Uploaded photo should clearly show the face of the applicant.

b) पृष्ठिका सफ़ेद या अन्य किसी हलके रंग का होना चाहिए।

The background should be white or any other light colour.

c) आँखे स्पष्टता से दिखनी चाहिए तथा काले चश्मे से ढ़का नहीं होना चाहिए।

The eyes should be clearly visible and not covered by dark glasses.

d) आवेदन, जिसमें आवेदक को अपलोड किए गए फोटो की सहायाता से ठीक तरह से पहचाना नहीं जा सके, उसे अविधिमान्य माना जाएगा।

Applications in which the applicant cannot be clearly identified using the uploaded photo will be considered invalid.

e) 40 KB के अधिकतम फाइल साइज़ की अनुमित दी गई है।

Maximum file size permitted is 40 KB.

f) अपलोड किया गया चित्र जेपीजी/जेपीईजी में होना चाहिए।

Uploaded image should be in JPG/JPEG format.

g) फोटो की लंबाई तथा चौड़ाई (रेज़लूशन) प्रत्येक, 95 पिक्सेल या उससे अधिक तथा 100 पिक्सेल या उससे कम होनी चाहिए। The Height and Width (resolution) of the photo should each be greater than or equal to 95 pixels & less than or equal to 100 pixels.

h) फाइल नाम की लंबाई (विस्तार सहित) 25 या उससे कम होना चाहिए।

The length of the file name (including extension) should be less than or equal to 25.

i) फाइल नाम में केवल वर्ण एवं संख्याएं होनी चाहिए।

File name should have only alphabets and numbers.

- j) अगर आपको अपनी फोटो बदलनी है, तो कृपया ब्राउस कर नया फोटो चुनें। If you want to change your photo, please browse and select a new photo.
- k) आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल वायरस मुक्त फोटो ही अपलोड करें। किसी भी कारण वश अपलोड किए गए फोटो में मालवेयर पाया जाए, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा।
 - Applicant should ensure that only virus free image is uploaded. In case, any malware is detected in the uploaded photo, the application will be considered as invalid.
- पंजीकरण पर आवेदकों को एक ऑनलाइन पंजीकरण नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे आगामी संदर्भ हेतु ध्यानपूर्वक सुरक्षित रखा जाए। ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के बाद प्राप्त जिनत घोषणा की प्रिंटेड प्रतिलिपि दी गई जगह पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित करने के बाद 'प्रशासन अधिकारी, मर्ती अनुभाग, द्वव नोदन प्रणाली केंद्र, विलयमला पी.ओ., तिरुवनंतपुरम, केरल 695 547' को साधारण डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा 11.10.2019 को या उससे पहले पहुंचना चाहिए। केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन में कार्यरत अभ्यर्थी उचित माध्यम द्वारा इस घोषणा को भेज दें। नियोक्ता से प्राप्त 'अनापित प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने पर ही उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमित दी जाएगी।

Upon registration, applicants will be provided with an on-line registration number, which should be carefully preserved for future reference. One printed copy of the Declaration generated after registering the on-line application should be signed by the candidate at the space provided and sent to 'THE ADMINISTRATIVE OFFICER, RECRUITMENT SECTION, LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE, VALIAMALA P.O., THIRUVANANTHAPURAM, KERALA – 695 547' by ordinary or speed post so as to reach on or before 11.10.2019. Candidates working in Central/State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous Organisation should send this Declaration through proper channel. They will be allowed to attend the written test/skill test only on production of 'No Objection Certificate' from their employer.

• <u>आवेदन शुल्क का भुगतान Payment of Application fee</u>

प्रत्येक आवेदन के लिए रु. 150/- (एक सौ पचास रुपये मात्र) का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क होगा। अभ्यर्थी, ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने के तुरंत बाद **एसबीआई – ई- भुगतान सुविधा** (नेट बैंकिंग/एसबीआई तथा अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड) द्वारा ऑन-लाइन भुगतान कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी बाद में भुगतान करना चाहें, तो वे ऑन-लाइन आवेदन पंजीकरण की समाप्ति के अगले दिन (यानि, 04.10.2019 को 14.00 बजे तक) तक ऑन-लाइन भर्ती पोर्टल में उपलब्ध 'घोषणा-पत्र डाउनलॉड एवं भुगतान करें' विकल्प पर क्लिक कर शुल्क भर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान मान्य नहीं होगा तथा किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा।

There will be a <u>non-refundable</u> application fee of ₹150/- (Rupees One Hundred and Fifty only) for each application. Candidates can make the payment on-line immediately after submitting the on-line application using SBI ePay facility (Net Banking/Debit Card of SBI and other Banks). If the candidate wishes to make the payment later, he/she can pay the fee upto the next day of closure of on-line application registration (i.e., upto 1400 hrs on 04.10.2019) by clicking 'Download Declaration & Make payment' option available in the on-line recruitment portal. No other mode of payment will be accepted and the fee will not be refunded under any circumstances.

- महिला/अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.)/पूर्व-सैनिक एवं पीडब्ल्यूडी (अंपग व्यक्ति) अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क भुगतान की छूट दी गई है। उन वर्ग के अभ्यर्थी, जिन्हें आवेदन शुल्क की छूट प्राप्त नहीं है, उनके शुल्क रहित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - Women/Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/Ex-servicemen and Persons With Benchmark Disabilities (PWBD) candidates are exempted from making payment of Application fee. Applications of non-exempted categories without Application Fee will not be considered.
- कृपया नोट करें कि अभ्यर्थियों को केवल घोषणा प्रपत्र (पूर्व उल्लिखित) ही एलपीएससी को भेजना है, तथा अन्य दस्तावेज़ जैसे कि प्रमाण-पत्र, भगतान रसीद की प्रतिलिपियां आदि भेजने की ज़रुरत नहीं है।
 - Please note that the candidates <u>need to send only</u> the Declaration form (as mentioned earlier) to LPSC, and **need not send** other documents including copies of certificates, payment receipts, etc.
- अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय वृत्ति सेवा (एनसीएस) पोर्टल में पंजीकृत किया है तथा जो योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं, वे एलपीएससी वेबसाइट देखें तथा उपर्युक्त बताए गए आवेदन प्रक्रिया का अनुसरण करें।

The candidates registered under National Career Service (NCS) portal and fulfilling the eligibility conditions may visit LPSC website and follow the same application procedure as stated above.

नोट: अगर महिला/अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.)/पूर्व-सैनिक एवं निर्देशित(बेंचमार्क) अपंग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थी आवेदन की अनुलिपि/बहुल आवेदन भेजते हैं तो आवेदन प्रस्तुतीकरण की तिथि से पूर्व प्राप्त अंतिम आवेदन को आगे की प्रक्रिया हेतु विचार किया जाएगा। अगर अन्य अभ्यर्थी, जिसमें अन्य पिछ्डं वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल हैं, आवेदन की अनुलिपि/बहुल आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि के अंदर जिस आवेदन के लिए 'आवेदन शुल्क' प्राप्त किया गया है, उसी पर विचार किया जाएगा।

Note: In case of submission of duplicate/multiple applications by Women/Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/ Ex-servicemen and Persons with Benchmark Disabilities (PWBD) candidates, the last application submitted before the last date of submission of application shall be considered for further processing. In case of submission of duplicate/multiple applications by other candidates, the latest application against which the 'application fee' has been received only will be considered.

24) याद रखने के लिए महत्वपूर्ण तिथियां/Important dates to remember

- ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण 22.09.2019 को 1400 बजे से शुरु होगा।
 Online application registration starts from 1400 hrs on 22.09.2019
- ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण 03.10.2019 को 1400 बजे समाप्त होगा।
 Online application registration closes at 1400 hrs on 03.10.2019
- आवेदन शुल्क 04.10.2019 को 1400 बजे समाप्त होगा।
 Payment of application fee closes at 1400 hrs on 04.10.2019
- घोषणा प्रपत्र, एलपीएससी में 11.10.2019 को या उससे पहले साम्रारण डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचना चाहिए। Declaration form should reach LPSC by ordinary or speed post on or before 11.10.2019

Annexure	- -(
----------	-------------

Government of (Name & Address of the authority issuing the certificate)

NCOME 8	Ş.	ASSEST	CERTIFICATE	TO.	BE	PRODUCED	BY	ECONOMICALLY	WEAKER
SECTIONS	;			•					

Certificate No	Date:
	VALID FOR THE YEAR
	hat Shri/Smt./Kumarison/daughter/wife of permanent resident of, Village/Street ffice District in the State/Union Territory
Post O	ffice District in the State/Union Territory Code whose photograph is attested below belongs to
Economically Weaker Sect	ions, since the gross annual income* of his/her 'family"** is below Rs. 8
lakh (Rupees Eight Lakh	only) for the financial year His/her family does not own or
possess any of the following	g assets***:
I. 5 acres of agricultura	
 Residential flat of 10 Residential plot of 10 	000 sq. ft. and above; 00 sq. yards and above in notified municipalities;
	00 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
0 01-1/0-1/1/	
2. Shri/Smt./Kumari	belongs to the caste which is not
Tecoonizeo as a Scheomen	Caste Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)
recognized as a Scheduled	Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)
recognized as a Scheduled	Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)
recognized as a Scheduled	
recognized as a Scheduled	Signature with seal of Office
recognized as a Scheduled	
	Signature with seal of Office
Recent Passport size attested photograph of	Signature with seal of Office
Recent Passport size	Signature with seal of Office
Recent Passport size attested photograph of	Signature with seal of Office
Recent Passport size attested photograph of	Signature with seal of Office
Recent Passport size attested photograph of	Signature with seal of Office
Recent Passport size attested photograph of	Signature with seal of Office
Recent Passport size attested photograph of	Signature with seal of Office
Recent Passport size attested photograph of	Signature with seal of Office

^{*}Note1:. Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

^{**}Note 2:The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

^{***}Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.